



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165

वेबसाइट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

बोर्ड द्वारा 01 जनवरी 2024 से लिये जाने वाले फीस का विवरण

सक्र	विवरण	शुल्क राशि (रूपयों में)
1.	समस्त प्रकार के आवेदन फार्म शुल्क	100 = 00
2.	स्थायी पंजीयन शुल्क	100 = 00
3.	अस्थायी पंजीयन शुल्क	100 = 00
4.	संदान राशि (अ) अस्थायी पंजीयन हेतु आवेदकों के लिए:- (ब) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अर्हता धारी व्यवसायी, जो कि इस बोर्ड में अस्थायी पंजीकृत हैं, उनके लिए :- (स) प्रदेश से बाहर के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अर्हता धारी व्यवसायी, जो इस बोर्ड में स्थायी पंजीयन हेतु आवेदक हैं, उनके लिए :-	2500 = 00 4000 = 00 5000 = 00
5.	प्रदेश के बाहर की अर्हता के लिये सत्यापन शुल्क	5000 = 00
6.	अन्य बोर्ड/परिषद से पंजीयन सत्यापन के लिये सत्यापन शुल्क	5000 = 00
7.	डाक व्यय शुल्क	300 = 00
8.	डुप्लीकेट प्रमाण पत्र शुल्क	1000 = 00
9.	नाम/उपनाम/पता परिवर्तन शुल्क (केवल वेबसाइट में)	1000 = 00
10.	अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए शुल्क (निर्धारित पंजीयन प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त)	1000 = 00
11.	अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल शुल्क	500 = 00
12.	कोई भी पुनरावेदन (अपील) हेतु शुल्क	1000 = 00
13.	पहचान पत्र शुल्क	100 = 00
14.	प्रदेश के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अतिरिक्त अर्हता धारी व्यवसायी, जो कि इस बोर्ड में पंजीकृत हैं, उनके लिए संदान राशि :-	4000 = 00
15.	प्रदेश के बाहर की अतिरिक्त अर्हता के लिये सत्यापन शुल्क	5000 = 00
16.	संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र शुल्क (राज्य के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए)	4500 = 00
17.	संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र शुल्क (अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए)	5500 = 00
18.	स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र शुल्क (केवल पाठ्यक्रम अवधि 03 वर्षों के लिए) नोट :- यह अखिल भारतीय प्रदेश कोटे के अभ्यर्थियों के लिए लागू।	3000 = 00
19.	पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त अर्हता प्रमाण पत्र तत्काल शुल्क (केवल राज्य के विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए लागू)	1000 = 00

बोर्ड द्वारा 01 जनवरी 2024 से लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क

स.क्र.	विवरण	शुल्क राशि (रूपयों में)
1	स्थायी पंजीयन हेतु आवेदन में विलम्ब होने पर विलम्ब शुल्क :- (निर्धारित अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित अंतिम तिथि अथवा इन्टरनशिप पूर्ण करने की अंतिम तिथि के आधार पर)	
	1. उक्त तिथि से एक माह तक कोई विलम्ब शुल्क नहीं है :-	00 = 00
	2. उक्त निर्धारित तिथि से एक माह से अधिक तथा एक वर्ष से कम समय हो तो विलम्ब शुल्क :-	300 /- प्रतिमाह
	3. उक्त निर्धारित तिथि से एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्ष से कम समय हो तो विलम्ब शुल्क :-	500 /- प्रतिमाह
	4. उक्त निर्धारित तिथि से दो वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम समय हो तो विलम्ब शुल्क :-	600 /- प्रतिमाह
	उक्त निर्धारित तिथि से पांच वर्ष अधिक समय तक पंजीयन नहीं हुआ हो तो ऐसे प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें बोर्ड का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।	



(डॉ. संजय शुक्ला)
रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर
